न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– ...39.../2022

प्रार्थीनी :– **भमरीदेवी पुत्री उदाराम जाति मेहतर निवासी बामसीन तहसील समदडी जिला बाडमेर**

बनाम

विप्रार्थी :– **राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बाडमेर**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. **श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थीनी**

–: : आदेश : :–

दिनांकः–08.06.22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की संयुक्त खातेदारी कृषि भुमि सरहद मौजा ग्राम बामसीन पटवार हल्का बामसीन में खसरा संख्या 801/92 का रकबा 03.2375 हैक्टयर किस्म मगरा की भुमि आई हुई है प्रार्थीनी का नाम उनके पिता उदाराम का देहान्त होने के बाद जरिये विरासत का फौतदगी का म्युटेशन भरा गया तब राजस्व अधिकारियो द्वारा सहवन से बोबली पुत्री उदाराम कौम मेहतर अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थीनी का वास्तविक नाम भमरीदेवी पुत्री उदाराम है खातेदारी कृषि भुमि में गलत इन्द्राज होने से कई परेशानियो का सामना करना पडता है। प्रार्थीनी समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधार कार्ड ,वोटरकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता, दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थीनी का नाम भमरी दर्ज है। अतः उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गयैं हमने प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्राथीर्नी का नाम राजकीय दस्तावेजात व ग्राम पंचायत बामसीन द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर बोबली पुत्री उदाराम के स्थान पर भमरी पुत्री उदाराम किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, वोटरकार्ड, भामाशाह कार्ड , बैंक खाता दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थीनी का नाम भमरी पुत्री उदाराम अंकित है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत बामसीन द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी यह अंकित है कि बोबली व भमरी पुत्री उदाराम दोनो एक ही महिला के नाम है। अतः राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात स्कूल दस्तावेज व ग्राम पंचायत बामसीन द्वारा प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर प्रार्थीनी का नाम बोबली पुत्री उदाराम के स्थान पर भमरी पुत्री उदाराम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा बामसीन पटवार हल्का बामसीन के खसरा संख्या 801/92 का रकबा 03.2375 हैक्टर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम बोबली पुत्री उदाराम के स्थान पर **"भमरी पुत्री उदाराम"** शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:26 IST
Reason: SelfAttested